छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
Email Id : henv.cg@nic.in

क्र.**GENS/748/2025-HOUSING** नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक02-03-2026
प्रति,

1 सचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
इन्द्रानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर

2 सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन

3 सदस्य सचिव,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण,
मंडल,पर्यावास भवन, सेक्टर-19,
नवा रायपुर अटल नगर

4 संचालक,
उद्योग संचालनालय
उद्योग भवन, तेलीबांधा रायपुर

विषय:- **River Rejuvenation Committee**की बैठक दिनांक 07.01.2026 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 12-01-2026।

----00----

विषयांतर्गत सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में **River Rejuvenation Committee** की संपन्न बैठक दिनांक 7.01.2026 के कार्यवाही विवरण पर पालन प्रतिवेदन अपेक्षित है। बैठक के कार्यवाही विवरण की छायाप्रति पुन: संलग्न प्रेषित है।

2/ कृपया उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण पर पालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोपरि।

(शत्रुहन यादव)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

File No. GENS/748/2025-HOUSING (Computer No. 14720)
Generated from eOffice by SOHAN LAL SAHU, SSA(HOUSING AND ENVIRONMENT SECTION), SENIOR SECRETARIAT ASSISTANT(HOUSING DEPARTMENT), HOUSING AND ENVIRONMENT DEPA

दिनांक 07/01/2026 को संपन्न "River Rejuvenation Committee" की बैठक का कार्यवाही विवरण

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रमुख पीठ नई दिल्ली द्वारा ओ. ए. क्रमांक 673/2018 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के परिपालन में गठित **"River Rejuvenation Committee"** की बैठक दिनांक 07/01/2026 को सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

1. नगरीय प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया की छत्तीसगढ़ राज्य के नदियों के प्रदूषित भाग में दूषित जल उपचार संयंत्रों की संख्या 22 से 24 की गई है। कोनी बिलासपुर, दोमुहनी बिलासपुर, गोबरा नवापारा, धमतरी, नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 2, 3, 4, किरोडीमल चरामा, कांकेर, शिमगा, चांपा, संयंत्रो का यूटिलाईजेशन कम है। सचिव, आवास एवं पर्यावरण द्वारा उक्त संयंत्रों का यूटिलाईजेशन बढ़ाने हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही— नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

2. नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि नवा रायपुर ग्रीन फील्ड शहर है तथा वर्तमान में शत प्रतिशत सिवेज का ट्रिटमेंट कर पानी का रिसायकलिंग भी हो रहा है। COSA एवं बीएसएफ हेतु एसटीपी में सिवेज पाईप को जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त को छोड़कर सभी एसटीपी का निर्माण किया जा चूका है। वर्तमान में जो एसटीपी संयंत्र स्थापित है वो भविष्य के लिए बनाई गई है, अतः वर्तमान में यूनिट 2, 3, 4 के यूटिलाईजेशन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

3 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय उद्योगो द्वारा एसटीपी का उपयोग ना कर दूषित पानी बाहर छोड़ा जा रहा है। सचिव, आवास एवं पर्यावरण द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी औद्योगिक क्षेत्र में पानी डिस्चार्ज करने वाले उद्योगों का सघन निरीक्षण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं सीएसआईडीसी के संयुक्त जांचदल द्वारा करा कर कार्यवाही सुनिश्चत करें।

(कार्यवाही— सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी)

4 सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि, छत्तीसगढ़ के चिन्हित छः नदियों महानदी, अरपा, खारून, केलो, शिवनाथ, हसदेव में प्रदूषित क्षेत्र में मिलने वाले शहरी नालों को सूचीबद्ध कर उक्त नालों में लगने वाले एसटीपी की जानकारी संकलित करें। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त एसटीपी प्रदूषित जल के ट्रिटमेंट के लिए पर्याप्त है कि नहीं। यदि कुछ नालों पर एसटीपी की आवश्यकता हो ऐसे नदियों में मिलने वाले नालो की संख्या इत्यादि का जीआईएस मैप के साथ कार्ययोजना प्रस्तुत करने नगरीय प्रशासन विभाग को निर्देशित किया गया । जिन नालों के लिए एसटीपी निर्माण किये जा चुके हैं, तथा जिनका यूटिलाइजेशन कम है उनको Utilize करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही— नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

5 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि दूषित जल उपचार संयंत्र से उपचारित दूषित जल के पुर्नउपयोग के संबंध में उद्योगों से एमओयू किया गया है, सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उपरोक्त संबंधित नगरीय निकाय एवं उद्योगों से एमओयू के संबंध में पृथक से बैठक विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की जाये। जो एसटीपी चल रहे हैं, उसके पानी के उपयोग की रिपोर्ट एकत्रित कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने नगरीय प्रशासन विभाग को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,)

6 सिवेज उपचार संयंत्रों के लोकेशन तथा बड़े उद्योगों के लोकेशन की मैपिंग कर उपयुक्तता के आधार पर उद्योगों को उपचार संयंत्रों से पानी उपलब्ध करने संबंधी एनालिसिस करने हेतु उद्योग विभाग, चिप्स, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, के तकनीकी अधिकारियो के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए।

(कार्यवाही– आवास एवं पर्यावरण विभाग)

7 सचिव महोदय द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रस्तुत अरपा नदी के Rejuvenation हेतु एक्शन प्लान को पुनरीक्षित कर पुनः प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,)

8 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ की चिन्हांकित नदियों के polluted stretch के सैंपल का परीक्षण कर, "River Rejuvenation Committee" की अगली बैठक में एक्शन प्लान में प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ नदियों के गुणवत्ता संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही– सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,)

9 जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि फ्लड डिमार्केशन में भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के दिशा निर्देश अध्याधीन नीतिगत निर्णय लिया जा रहा है। तत्पश्चात इसमें कार्यवाही की जावेंगी।

अंत में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्रमांक GENS/748/2025-HOUSING **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /01/2026**
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग, मंत्रालय,
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, तेलीबांधा रायपुर
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर
5. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर
6. स्टॉफ ऑफिसर, सचिव, छ.ग.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुभाग अधिकारी
आवास एवं पर्यावरण विभाग